न्यायालय कलेक्टर जबलपुर

न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) का राजस्व प्रकरण क्र./01/अ–19(3)/2017–18

संशोधित आदेश

पारित आदेश दिनांक. 7/12/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर द्वारा पत्र क्र. क्यू. दिनांक 03.10.2017 प्रेषित कर जबलपुर जिला अंतर्गत विकास खण्ड कुण्डम में प्रस्तावित छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि 69.55 हे. के बदले ग्राम किवलारी प.ह.नं.18 स्थित खसरा नं.176 रकवा 31.16 हे., खसरा नं. 249 रकवा 40.97 हे. एवं हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ग्राम तौरी पटवारी हल्का नं.8 ख.नं.1 रकवा 79.54 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण किये जाने की मांग की गई है।

भूमि हस्तांतरण के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, कुण्डम ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 12.10.2017 तहसीलदार कुण्डम के प्रतिवेदन दिनांक 12.10.2017 से सहमत होते हुए प्रेषित किया है। तहसीलदार कुण्डम ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार का प्रकाशन किया गया। जिसमें किसी भी व्यक्ति एवं संस्था द्वारा आपत्ति पेश नहीं की गई। तहसीलदार द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम किवलारी स्थित भूमि खसरा नं.175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.57 हे. मद शासकीय बड़े झाड़ का जंगल चराई एवं इमारती लकड़ी के लये दर्ज है एवं ग्राम तौरी स्थित खसरा नं.1 रकवा 79.54 हे. भूमि मद शासकीय हस्तांतरित किया जाना उचित होगा। संयुक्त रूप से वन विभाग, राजस्व विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। संयुक्त मौका निरीक्षण में समस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम किवलारी प.ह.नं. 18 स्थित भूमि खसरा नं.175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.97 हे. एवं ग्राम तौरी स्थित खसरा नं.1 रकवा 79.54 हे. भूमि कुल रकवा 151.67 हे. वनीकरण एवं हस्तांतरण हेतु उपयुक्त पाई गई।

अतः अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड चार क्र.1 कंडिका 36 के अनुसार ग्राम किवलारी प.ह.नं.18 स्थित खसरा नं.175 रकवा 31.16 हे. खसरा नं. 249 रकवा 40.97 हे. एवं ग्राम तौरी पटवारी हल्का नं.8 खसरा नं.1 रकवा 79.54 हे. कुल रकवा 151.87 हे. में से 139.10 हे. भूमि वन विभाग को छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना एवं हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के एवज में म.प्र. शासन, वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निःशुल्क व सशर्त हस्तांतरित की जाती है :–

1. भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं होगा अथवा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।

-26-
68

2. शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर व उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन का परीक्षण करने के लिये कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

(छवि भारद्वाज)
कलेक्टर, जबलपुर

पृ.क्र. 8717/प्रवाअ.कले–..../2018 जबलपुर दिनांक 7-12-18

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. अनुविभागीय अधिकारी, कुण्डम को सूचनार्थ।
5. कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र.क्यू. दिनांक 03.10. 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. तहसीलदार कुण्डम को सूचनार्थ उपरोक्त आवंटित भूमि का खसरा पांच साला एवं, नक्शे की प्रति 1 सप्ताह की समय सीमा में इस न्यायालय को उपलब्ध कराये ताकि प्रकरण नस्तीबद्ध किया जा सके।
7. प्रवाचक कलेक्टर, न्यायालय जबलपुर को सूचनार्थ।
8. प्रवाचक, अपर कलेक्टर, प्रथम/द्वितीय जबलपुर को अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ।

(छवि भारद्वाज)
कलेक्टर, जबलपुर

कार्यालय तहसीलदार कुण्डम जिला जबलपुर(म.प्र.)

क्रमांक /184/ प्रवा. / तह. / 2020 कुण्डम दिनांक– 10 / 06 / 2020

प्रति,

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम जिला जबलपुर,

विषय :– वन परिक्षेत्र कुण्डम के अंतर्गत हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के प्रभावित वनभूमि 54.87 हे. के एवज में ग्राम तौरी में प्रदाय की गई राजस्व भूमि का सीमांकन उपरांत कब्जा सौपने बावद्।

संदर्भ :– न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01 / अ–19(3) / 2017–18, संशोधित आदेश क्रमांक / 3717 / प्र.वा.अ. कलेक्टर / 2018 जबलपुर दिनांक 07.12.2018।

----00----

उपरोक्त विषयांर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है, कि न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01 / अ–19(3) / 2017–18, संशोधित आदेश क्रमांक / 3717 / प्र.वा.अ. कलेक्टर / 2018 जबलपुर दिनांक 07.12.2018 के द्वारा हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण से प्रभावित वन भूमि के एवज में ग्राम तौरी की भूमि ख.नं. 01 रकवा 79.54 हे. भूमि में से 54.87 हे. भूमि वनीकरण हेतु आवंटित की गई थी। जिसके आधार पर सीमांकन दल गठित किया जाकर दिनांक 20.02.2020 को सीमांकन किया गया जिसमें वन विभाग, जल संसाधन विभाग उपस्थित रहे। सीमांकन दल द्वारा ख.नं. 01 की भूमि को A,B,C तीन ब्लॉक में विभक्त कर रकवा क्रमशः पार्ट A रकवा 13.00 हे. पार्ट B रकवा 32.00 पार्ट C रकवा 10.00 चिन्हांकित कर 54.87 हे. भूमि मौके पर नापी गई परन्तु वन विभाग द्वारा पार्ट B का रकवा 32.00 हे. में से 08.00 हे. भूमि को वन भूमि बताई जाने से कब्जा सौपने की कार्यवाही नहीं की जा सकी किन्तु दिनांक 05.06.2020 को कलेक्टर महोदय द्वारा जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी प्राधिकरण की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। जिसके बिन्दु क्रमांक 03 में निर्देश दिये गये कि 08.00 हे. विवादित भूमि को छोड़कर इसी भूमि से लगी अन्य 08.00 हे. भूमि प्रदाय किये जाने के निर्देश के पालन में दिनांक 06.06.2020 को सीमांकन दल गठित किया जाकर भूमि को पुनः चिन्हांकित किया गया जिसमें से विवादस्पद 08.00 हे. भूमि को पृथक किया जाकर लाल स्याही से चिन्हित किया गया। तथा एक नया ब्लाक D निर्मित किया गया। जिसको मौके पर नापकर पृथक से 08.00 हे. भूमि चिन्हित की गई।

कृ.प.उ.–

Scanned with CamScanner

अतः वर्तमान में हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना को ग्राम तौरी की भूमि ख.नं. 01 में से पार्ट A रकवा 13.00 हे., पार्ट B रकवा 23.87 हे., पार्ट C रकवा 10.00 हे., पार्ट D रकवा 08.00 हे. सभी का कुल योग 54.87 हे. भूमि का कब्जा सौपा गया। एवं पार्ट B का विवादित रकवा 08.00 हे. के लिए पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

संलग्न :— प्रतिवेदन, पंचनामा, नक्शा
एवं अन्य सुसंगत दस्तोवज

तहसीलदार
कुण्डम

पृ.क्रं./185/प्रवा./तह./2020 कुण्डम दिनांक— 10/06/2020

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान् कलेक्टर महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय (ग्रामीण) जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान् कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुण्डम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (सा.) सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी हिरन जल संसाधन विभाग कुण्डम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी की ओर भेजकर लेख है, कि उक्त आवंटित भूमि को राजस्व रिकार्ड से पृथक कर नक्शा/खसरा संशोधित कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

तहसीलदार
तहसीलदार
कुण्डम

Scanned with CamScanner

कब्जा पंचनामा

हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित वनभूमि 54.87 हेक्ट. के एवज में राजस्व विभाग द्वारा प्रदाय की गई गैर वनभूमि ग्राम - लौरी पटवारी हल्का नं. - 08, खसरा नं. - 01, रकबा 79.54 हेक्ट का संयुक्त सीमांकन राजस्व विभाग दल, वन विभाग दल एवं जल संसाधन विभाग दल द्वारा कुल 4 पार्ट में, पार्ट - A रकबा 13 हेक्ट, पार्ट - B रकबा 23.87 हेक्ट, पार्ट - C रकबा 10 हेक्ट एवं पार्ट - D रकबा 8 हेक्ट कुल रकबा 54.87 हेक्ट. वन विभाग को मौके पर कब्जा सौंपा गया।

कब्जा देने वाले अधिकारी/कर्मचारी

कब्जा लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी

10-6-20
T.N. Kundan

10.06.20
R.D. Kundan

Scanned with CamScanner

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फार्म पी -II
खसरा

सी. एल. आर. न. :1133020100008026004064

ग्राम:तौरी		हल्का :भजिया		रा.नि.म. :इमलई		तहसील :कुंडम		जिला :जबलपुर		वर्ष: 2020-2021	
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई — फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	79.540 0बड़े झाड़ का जंगल 79.540 0	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन 1257/7954 भाग शासकीय वन विभाग पता जबलपुर मध्य प्रदेश 6697/7954 भाग भूमि स्वामी									नामांतरण(भू-आवंटन)प्रकरण क्रमांक 01 आ.दि. 12/10/2017 के अनुसार न्यायालय अपर कलेक्टर ग्रमीण द्वारा स्वीकार किया गया है। छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित

सूचना केन्द्र
13 OCT 2020
तहसील-कुंडम, जिला-जबलपुर

तहसीलदार
कुण्डम

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 01
Date: 2020.10.13 12:54:45 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 1133020100008026004064